जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमरा नम्बर–15 एम.बी, राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांकः जविप्रा / संस्था / लेखा / 2025–26 / डी– 324 दिनांकः 08-08-25

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या–DC(Admn.)- 06 / **2025–26**

जयपुर विकास प्राधिकरण में नियंत्रणाधीन प्रकोष्ठो / उद्यानों में उच्च कुशल / कुशल / अकुशल श्रमिक सेवाओं यथा सुपरवाइजर सेवा (उच्च कुशल श्रमिक सेवा), सिक्यूरिटी मैन सेवा (कुशल), सहायक कर्मचारी सेवा (अकुशल श्रमिक)] राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु संवेदकों / सेवा प्रदाता एजेन्सियों से ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 29.00 करोड़ वार्षिक है। बोली जिसका UBN No. .... दिनांक 29-08-2025 सायंकाल 5:00 बजे तक ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली का ऑनलाइन आवेदन व भुगतान जविप्रा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 29-08-2025 को सांय 5:00 बजे तक है। विस्तृत विवरण, जो कि बोली प्रपत्र में उपलब्ध है, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

बोलीदाता को बोली में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :–

1 बोलीदाता जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन हेतु दस्तावेज शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि व आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन जमा करानी होगी।

2 बोलीदाता ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 14:23:51 IST
Reason: Approved

उपायुक्त (प्रशासन)
जविप्रा,जयपुर।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004

No:- JDA/EST./ACTT./2025-26/D- 324

Date: 08-08-25

NOTICE INVITING E-BID

NIB NO.: DC(Admn.)- 06/2025-26

Online Bids are invited forProviding service of Various Types Like Labourersie Supervisor (Highly Skilled), Security Men (skilled), IVth Class (Unskilled Labour) Services. estimated yearly cost of which is Rs 29.00 Crore. UBN No. .... The last date for Applying Bid and making online payment on JDA portal is up-to 05:00 PM of 29-08-2025 Details may be seen in the Bidding Doucment at our office or the State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban. rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be :

1. Registered on JDA website www. jda.urban.rajasthan.gov.in,
   For Participating in the bid, the bidder has to apply for the bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security deposit online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Deputy Commissioner (Admn.)
JDA, Jaipur

-

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

Detail NIB for uploading on SPP Portal, e-Procurement, JDA Protal & as part of NIB Document

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur- 302004

No:- JDA/EST./ ACTT./2025-26/D- 324

Date: 08-08-25

NOTICE INVITING E-BID

NIB NO. : DC(Admn.)- 06/2025-26

Name & Address of the Procuring Entity	➢ Name: Deputy Commissioner (Admn) JDA, Jaipur ➢ Address: Room No. 15 Main Block, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Subject Matter of Procurement	➢ Open Bid for Providing Various Services Type of Securitymen Supervisor (Highly Skilled), Security Men (skilled), IVth Class (Unskilled Labour)], in JDA & Park, etc.
Period	➢ For One year
Bid Procedure	➢ Two Stage Method tender, open competitive Bid procedure at (least cost based) http://eproc.rajasthan.gov.in
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➢ Website: www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajsthan.gov.in www.jda.urban.rajasthan.gov.in
Website for online Bid application and payment	➢ Website: www.jaipurjda.org. ➢ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document fee, RISL Proccessing fee Deposit, and Bid Security deposit online only. ○ Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) (@50% cost for SSI units) ○ RISL Processing Fee: Rs 2500.00 (Rupees Two Thousand five hundred only) ➢ Requisite Bid Security Money - Amount (INR) : 2% of Estimated Procurement Cost, 0.50% of S.S.I. of Rajasthan, 1% for Sick Industries, other than S.S.I., whose cases are pending with Board of Industrial & Financial Reconstruction ○ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Estimated Procurement Cost	➢ INR 29.00 Crore
Bid Security	➢ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Pre-Bid	➢ N/A
Start/End Date for Bid Applying, Online Payment and Bid Submission	➢ Start Date: 08-08-2025 at 01:00 PM ➢ End Date: 29-08-2025 at 05:00 PM
Date/Time/Place of Technical Bid Opening	➢ 01-09-2025 at 03:00 PM Room No. 15, Main Block, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Date/Time/Place of Financial Bid Opening	➢ Will be intimated latter to the technically qualified bidder.

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

Bid Validity	➢ 120 days from the bid submission deadline

DC (Admn)

Process for Participation & Depositing Payment Online

Jaipur Development Authority has decided to receive Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), Tender Fee and RISL processing fee online through JDA Portal. The options available in tender for participants are as mentioned below:

A. To participate in the bid, bidder has to be:

- Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).
- For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee Deposit+ Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), online only.
- Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

B. Payment Options:

Option-1:

Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security) +Tender Fee + RISL Processing Fee amount will be paid through **Payment Gateway only.**

options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

C. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

Note:

1. Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
2. In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on http://eproc.rajasthan.gov.in (bidders already registered on http://eproc.rajasthan.gov.in before 30-09-2011 must register again).
4. JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoIT&C, GoR on a regular basis.

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot. Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.inAddress : e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

7. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
10. The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement.Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with theRTPP Act 2012 and Rules thereto, the Provisions of RTPP Act, 2012 and Rules, 2013 Shall Prevail.

Process for Participation & Depositing Payment Online

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, has decided to receive Bidding document fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit through online mode only for which the bidder has to get registered himself on JDA portal

www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be:

1. **Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).**

   For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee online only.
2. **Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.**

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Methods for depositing on line amount

Option-1:

Tender Fee + RISL Processing Fee amount will be paid through Payment Gateway only.

Options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from any Bank any Branch using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from anywhere any time till the closing date & time of bid participation.

Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "Bid Participation Receipt" will be generated on real time basis.

In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "Bid Participation Receipt" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

While participation in the bid, a receipt will be generated through the system showing the submission details as per Bid Participation Receipt (Sample Enclosed). The bidder is required to fill the instrument numbers for various heads on e-Procurement portal www.eproc.rajasthan.gov.in as mentioned in the receipt.

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Bid Participation Receipt

Date & Time :................ AM/PM

Bid Detail

Bid Id: ....

Bid Title:

Procurement Entity : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bid Value: ....

Bid Opening Place : Room No. 15, Main Block Jaipur Development Authority

Bidder Detail

Name of Entity:	XXXXXXXXXXX	Mobile No.:	XXXXXXXX
Registration Type:	Individual	Instrument Amount:	....
Payment Mode:	Online UTR	Payment Channel:	Payment Gateway ICICI Branch-JDA
Instrument No.:	....	Instrument Date:	....

Dates Detail

Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	.... 03:00 PM
2	Bid Opening Date	.... 03:30 PM

Specific Instrument for eProc Rajasthan

Instrument Type

Instrument Number	Head Name	Amount	Date
10000	Tender Fee	1000.00	....
10001	RISL Processing Fee	....	....
10002	Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security)	.. ..	....

Issuer Detail: Jaipur Development Authority

Challan Number:..........................

More details about Registration Process, Terms and Conditions and FAQ along with contact details is available on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Bidder has to submitted as proof of deposited amount against the Bid on eProcurement Protal

Jaipur Development Authority, Jaipur. Bid Participation Receipt	
Bid Detail	Date & Time
Bid ID: Bid Title: Bid Value:	Procurement Entity:- Bid Opening Place:
Bidder Detail	
Name of Entity: Registration Type: Payment Mode: Instrument No.:	Mobile No.: Instrument Amount: Payment Channel: Instrument Date:

Dates Detail		
Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	
2	Bid Opening Date	

Specific Instrument for eProc Rajasthan			
Instrument Type			
Instrument Number	Head Name	Amount	Date
	Tender Fee RISL Processing Fee Bid Earnest Money Deposit		
Issuer Detail: Jaipur Development Authority		Challan Number:	

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा के विभिन्न प्रकोष्ठो/उद्यानों में उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिक सेवाओं यथा सुपरवाईजर (उच्च कुशल श्रमिक सेवा), सिक्यूरिटी मैन (कुशल श्रमिक सेवा), सहायक कर्मचारी सेवा (अकुशल श्रमिक सेवा)] उपलब्ध कराने हेतु बोली

–:निविदा की शर्तें:–

ए– बोली प्राप्ति हेतु वांछित तकनीकी योग्यताएं:–

1. बोलीदाता को सिक्यूरिटी गार्डस की सेवा आपूर्ति करने हेतु गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला लाईसेन्स होना आवश्यक है।
2. बोलीदाता के पास ई.एस.आई./पी.एफ./जी.एस.टी का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स, श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी लाइसेन्स Contract Labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
3. बोलीदाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण विभाग/कार्यालय में मैनपावर या कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का न्यूनतम 3 वित्त वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष में बिडर द्वारा प्राप्त कार्यादेशों की स्वप्रमाणित प्रतियों के अलावा उस वित्तीय वर्ष हेतु संतोषप्रद कार्यपूर्णता के प्रमाण–पत्र संलग्न किए जायेंगे। अन्य अस्पष्ट दस्तावेज संलग्न करने पर निविदा को निरस्त योग्य माना जा सकेगा।
4. बोलीदाता फर्म का गत तीन वित्त वर्षो यथा 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में से किन्हीं दो वर्षो में प्रतिवर्ष कम से कम 05.00 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। बोलीदाता को इस संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नऑवर सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इस पर संबंधित सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेण्ट) के UDIN Number अंकित होना आवश्यक होगा।
5. बोलीदाता फर्म को गत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में से किन्हीं दो वर्ष के अंकेक्षित अन्तिम लेखे निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करने होगें। इन दस्तावेजों पर संबंधित सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेण्ट) के UDIN Number अंकित होना आवश्यक होगा।
6. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules 2013 प्रावधानों के तहत् इस बोली के साथ संलग्न Annexure-A, B, D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
7. न्यूनतम सर्विस चार्जेज 1.5 प्रतिशत (एक पॉईन्ट पांच प्रतिशत) से कम होने पर बोली स्वतः ही निरस्ती योग्य होगा।
8. बोलीदाता फर्म का स्थाई खाता संख्या (पैन) एवं इसकी प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
9. कम्पनी के पास Private Security Agencies (Regulation) Act,2005 के तहत जारी लाइसेंस होना चाहिये।
10. उपरोक्तानुसार सभी दस्तावेजों के लिए चैक लिस्ट तैयार कर पृ.सं. का उल्लेख करते हुए दस्तावेज पृ.सं. अनुसार संलग्न/अपलोड किया जाना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा। तकनीकी योग्यताओं के क्रम में उपरोक्तानुसार एवं अनुसंलग्नक प्रथम अनुसार दस्तावेज संलग्न किये जाने है।
11. बोलीदाता द्वारा स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जावेगा जिसमें वह स्पष्ट इंगित करे कि वह अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल सेवा में से किस श्रेणी की सेवा हेतु भाग ले रहा है। (संलग्न Annexure G)

बी– अन्य शर्ते :–

1. अनुबन्ध की अवधि निविदा स्वीकृति से एक वर्ष की अवधि हेतु होगी। कार्य संतोषजनक होने पर बोलियों की अवधि सक्षम स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार बोली की शर्तो के अध्याधीन, उभय पक्षों की सहमति से आगे बढायी जा सकेगी।
2. न्यूनतम मजदूरी/पीएफ/ई.एस.आई/जी.एस.टी व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। ई.एस.आई./पी.एफ. एवं जी.एस.टी का भुगतान नियमानुसार जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगा। जविप्रा में आपूर्ति होने वाली श्रमिक सेवाओं के प्रति सेवा आपूर्तिकर्ता फर्म को ई.पी.एफ./ई.एस.आई. अंशदान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित विभाग में पृथक चालान [illegible] बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं इस क्रम में ईसीआर की प्रति तथा फर्म के बैंक खाते से राशि [illegible] के स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध करानी होगी। आगामी माह का भुगतान गत माह की PF/ESI/GST राशि [illegible] के साक्ष्यों (ईसीआर की प्रति एवं फर्म के बैंक खाते से राशि जमा के स्टेटमेन्ट की प्रति) के पश्चात् [illegible] देय [illegible]। उपर्युक्तानुसार अभिलेख अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के उपरांत ही बिल भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि LOA जारी तिथि से 7 दिवस में जमा कराया जाना आवश्यक है।

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

4. कुशल/उच्च कुशल/अकुशल श्रमिक सेवा आपूर्ति हेतु एक से अधिक संवेदकों/एजेन्सियों से न्यूनतम बोली पर समानान्तर अनुबंध किया जा सकता है।
5. सफल बोलीदाता को उपलब्ध कराये जाने वाले कुशल/उच्च कुशल/अकुशल श्रमिक सेवा के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज/पूर्ण विवरण रखना होगा एवं मांगने पर उपलब्ध कराना होगा।
6. प्रत्येक एजेन्सी द्वारा समस्त प्रकार की श्रमिक सेवाओं की आपूर्ति जविप्रा द्वारा निर्धारित वर्दी में ही की जायेगी। सभी एजेन्सीयों की वर्दी (आसमानी शर्ट, काली पेंट) एक समान होगी एवं वर्दी पर आपूर्तिकर्ता एजेंसी/फर्म के नाम का बैज एवं फर्म द्वारा जारी श्रमिक सेवा का पहचान पत्र लगा होना अनिवार्य होगा।
7. संवेदक फर्म द्वारा श्रमिक सेवाओं की आपूर्ति बोली शर्तो अनुरूप नही किये जाने यथा निर्धारित वर्दी का अभाव, पहचान पत्र का अभाव, निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थिति आदि होने पर रू. 30/– प्रति श्रमिक सेवा प्रतिदिन की दर से शास्ती आरोपित की जावेगी।
8. प्रत्येक बोलीदाता फर्म जविप्रा में उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली श्रमिक सेवाओं की उपस्थिति स्वंय की बायोमैट्रिक मशीन पर करने की व्यवस्था करेगी। एजेन्सी के सुपरवाईजर द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति संधारित की जायेगी, जिसको प्राधिकरण द्वारा कभी भी चैक किया जा सकेगा। उक्त के अभाव में राशि रू. 1000/– प्रति दिवस की दर से शास्ती लगाई जा सकेगी।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी/संवेदक को निविदा के साथ संलग्न जॉब चार्ट के अनुसार सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। जॉब चार्ट अनुसार सेवा नहीं दिये जाने पर प्रतिभूति राशि (SD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं कम से कम एक वर्ष के लिए डी–बार भी किया जा सकता है।
10. जविप्रा एवं सेवा आपूर्तिकर्ता फर्म की आपसी सहमति से अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा सेवायें ली जा सकेगी।
11. सफल बोलीदाता को कार्यादेश देने पर अपेक्षित संख्या में कुशल/उच्च कुशल/अकुशल श्रमिक सेवाओं की आपूर्ति की जानी है। कार्य सम्पादन के दौरान किसी श्रमिक सेवा को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म/संवेदक की होगी।
12. श्रमिकों सेवा के अनुशासन में कार्य करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी। सेवा आपूर्ति फर्म द्वारा श्रमिक सेवाओं से लगातार 8 घंण्टे से अधिक कार्य नही करवाया जायेगा। श्रमिक सेवाओं की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।
13. एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी एजेन्सी को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोलीदाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे
15. बोली प्रतिभूति राशि टेण्डर शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। इनके ऑनलाईन जमा के अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा।
16. उपरोक्त "ए" में अंकित अर्हताएं पूर्ण नही करने वाली एजेन्सी की निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
17. बोलीदाता द्वारा सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकों एवं शब्दों में अंकित करना होगा।
18. किसी बिन्दू पर विवाद होने पर सचिव जविप्रा का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिए न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
19. श्रमिक सेवा आपूर्ति का भुगतान संबंधित नियंत्रक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
20. संवेदक द्वारा जो भी श्रमिक सेवा उपलब्ध करवायी जायेगी, उन्हे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
21. संवेदक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली श्रमिक सेवाओं को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 05 तारीख तक किए जाने के बाद सभी श्रमिक सेवाओं को किये गये पारिश्रमिक भुगतान का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संवदेक को संबंधित माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
22. संवेदक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली श्रमिक सेवाओं का उपस्थिति पत्रक संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिये जाने की स्थिति में पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 05 तारीख तक उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा, इसके अभाव में संवेदक के विरूद्व विलम्बित अवधि हेतु राशि रू. 5000/– प्रतिदिन की दर से शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
23. श्रमिक सेवाओं के पर्यवेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उच्चकुशल श्रमिक सेवाओं की आपूर्ति रखी जावेगी, जिनको उच्च कुशल श्रमिक की श्रेणी का पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।
24. किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार सचिव, जविप्रा, जयपुर को होगा।
25. ALL the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) will be applicable on this tender. If there is any contradictions in existing conditions, then provision of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 shall be applicable.
26. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 [illegible] करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रकियानुसार [illegible] के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अपील हेतु देय फीस अप्रतिदेय होगी।
27. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण [illegible] से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 3 दिवस के

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र सदस्य सचिव, क्रय समिति कमरा नं. 15 जविप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो SPP Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47)

28. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त(जी. एण्ड टी.) विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 30/04/2018, संख्या 1/2018 के समस्त बिन्दु लागू होंगें मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :–

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डिन एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (रेग्यूलेशन) एक्ट 2005–06 गृह विभाग (पुलिस विभाग) राजस्थान सरकार से जारी अनुक्षा पत्र				

29. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा बोली पत्र में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी जो अनुसंलग्क द्वितीय पर संलग्न हैं :–

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुपरवाईजर (उच्च कुशल श्रमिक सेवा)	20	उच्च कुशल – रू. 10770/–		13	3.25		
2.	सिक्यूरिटी मैन (कुशल श्रमिक सेवा)	650	कुशल – रू. 9270/–		13	3.25		
3.	सहायक कर्मचारी (अकुशल श्रमिक सेवा) उपलब्ध करवाने की सेवाएं	930	अकुशल – रू. 8550/–		13	3.25		

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 की पूर्तियां बोलीदाता द्वारा अंकित की जा सकेगी)

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

30. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

31. राजस्थान अनुबंधित (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हक होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

32. यदि जविप्रा को अंशकालिक (पार्ट टाईम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घंण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हे उनकी सेवाओं के विरूद्व न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

33. संवदेक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली श्रमिक सेवाओं का मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा श्रमिक सेवाओं के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिक सेवाओं के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का शपथ पत्र एवं बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

34. कुशल श्रमिक सेवाओं से निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंण्टे प्रतिदिन) से अधिक कार्य करवाने पर ओवरटाईम कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगनी दर से किया जायेगा। जविप्रा में कार्य की परिस्थति को देखते हुए एक गार्ड को प्रतिमाह 20 घण्टे से अधिक का ओवरटाईम देय नही होगा। विशेष परिस्थतियों में आवश्यकता होने पर सचिव जविप्रा की पूर्व स्वीकृति से 20 घण्टे से अधिक ओवरटाईम स्वीकृत किया जा सकेगा।

35. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिक सेवाओं को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

36. श्रमिक सेवाओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवदेक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

37. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समस्त श्रमिक सेवाओं का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें श्रमिक सेवा की मजदूरी राशि से कटौती और नियोक्ता का अंशदान भी शामिल होगा। संवदेक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिक सेवा के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि जविप्रा में कार्यरत श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई. पृथक रूप से चालान से जमा करवाये जाने एवं इसकी पुष्टि हेतु नियमानुसार संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

38. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्प लाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

39. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिक सेवाओं का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

40. संवेदक द्वारा श्रमिक सेवाओं को देय राशि पर वस्तु एव सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तुत एवं सेवा कर के सम्बन्ध में उत्पन्न, होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उतरदायित्व संवेदक का होगा।

41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार जविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओ, आदेशो/दिशा–निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

42. यदि संवेदक एवं आपूर्ति की जाने वाली श्रमिक सेवाओं के मध्य कोई विवाद [illegible] जिम्मेदारी संवेदक की होगी। (इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 [illegible] राजस्थान एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलक) अधिनियम, 1970 का [illegible] निष्ठा [illegible] पालन करने के लिए उतरदायी होगा)

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

43. श्रमिक सेवाओं को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तदायित्व संवेदक का होगा।

44. कार्य सम्पादन अवधि के कार्य संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुघ टिना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

45. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्राप्त होती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।

46. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

47. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिको द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

48. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 के section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी कार्यकारी समिति (E.C.), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन, नगरीय विकास, जयपुर है।

49. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/– है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपये 10,000/– निर्धारित है। उक्त फीस अप्रतिदेय होगी।

50. यदि प्रस्ताव, जिन पर बोली आंमत्रित की गई है, तकनीकी कारणो/बोलीदाता की गलती अथवा अन्य किसी भी कारण से ई–पोर्टल पर प्रदर्शित नही होते है, तो संबंधित बोलीदाता की बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

51. यदि इस निविदा में विहित कोई शर्त अथवा प्रावधान किसी अधिनियम या नियम के प्रतिकूल पाया जाता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियम में मौजूद शर्त/प्रावधान ही अभिभावी होंगे।

52. संलग्न जॉब चार्ट के अनुसार कार्य करने होंगे।

53. आपूर्ति होने वाली श्रमिक सेवाओं से (कुशल/उच्चकुशल सुरक्षाकर्मी) को जयपुर में, जविप्रा के अधीन विभिन्न पार्को में सेवा आपूर्ति ली जावेगी, जिनका जॉब चार्ट परिशिष्ट 'F' पर संलग्न है।

54. जविप्रा की किसी परिसम्पति की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी सेवा/श्रमिक सेवा लगे होने के बाद भी किसी सम्पति की तोडफोड नुकसान/हानि होती है तो उक्त नुकसान/हानि की वसूली संबंधित संवेदक से की जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भाग–(अ) तकनीकी निविदा

उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों सुपरवाईजर (उच्च कुशल श्रमिक सेवा), सिक्यूरिटी मैन (कुशल श्रमिक सेवा), सहायक कर्मचारी (अकुशल श्रमिक सेवा)] उपलब्ध करवाने हेतु तकनीकी योग्यताऐं।

क्र. सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	कम्पनी/फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नं., दूरभाष नम्बर	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित कर संलग्न करना है।
2.	उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों सुपरवाईजर (उच्च कुशल), सिक्यूरिटी मैन (कुशल), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चपरासी (अकुशल श्रमिक)] सेवाऐं उपलब्ध कराने बाबत लाईसेंस	सिक्यूरिटी गार्डस के मामले में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। जो बोली आमंत्रण की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
3.	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम बोर्ड/प्राधिकरण मे मैन पावर या कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक सेवाऐं उपलब्ध कराने का गत 3 वर्षो (2022–23, 2023–24 व 2024–25) वित्त वर्षो का अनुभव आवश्यक है।	बोलीदाता के पास गत तीन वित्त वर्षो में न्यूनतम 500 श्रमिक (कुशल/अकुशल/उच्चकुशल) सेवा प्रति वर्ष आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की पुष्टि हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष में बिडर द्वारा प्राप्त कार्यादेशों की स्वप्रमाणित प्रतियों के अलावा उस वित्तीय वर्ष हेतु संतोषप्रद कार्यपूर्णता के प्रमाण–पत्र संलग्न किए जायेंगे। अन्य अस्पष्ट दस्तावेज संलग्न करने पर बोलीदाता को निरस्त योग्य माना जा सकेगा।
4.	Rajasthan shop and commercial establishment act 1958 or Indain companies act 1956 or 2013 or indain partnership act 1932 or limited liability partnership act 2008 के तहत फर्म का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।	स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जानी है।
5.	श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी Contract LabourLicence होना आवश्यक है।	श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी Contract Labour Licence की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है, जो बोली आमंत्रण की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
6.	निविदा डॉक्यूमेन्ट फीस, बोली प्रतिभूति राशि एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रू. जमा का विवरण।	विवरण संलग्न किया जाना है।
7.	संलग्न Annexure- A,B, D के अनुसार घोषणा पत्र।	भरकर हस्ताक्षरित मय सील घोषणा पत्र संलग्न किया जाना है।
8.	बोलीदाता फर्म के पास Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 के तहत जारी लाईसेंस होना चाहिए।	Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की पूर्ण छायाप्रति स्व–प्रमाणित कर संलग्न की जानी है, जो बोली आमंत्रण की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
9.	बोलीदाता का गत तीन वित्तीय वर्षों वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 मे से किन्ही दो वित्त वर्ष में प्रति वर्ष रूपये 05.00 करोड़ का टर्नऑवर होना चाहिए।	टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा जारी टर्नओवर संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है, जिस पर संबंधित सी.ए के UDIN नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
10.	गत वित्तीय वर्षो के अन्तिम लेखों का प्रस्तुतीकरण।	गत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में से किन्हीं दो वर्षो के अंकेक्षित अन्तिम लेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इन दस्तावेजों पर संबंधित सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेण्ट) के UDIN Number अंकित होना आवश्यक होगा।
11.	बोलीदाता द्वारा किस श्रेणी (अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) हेतु बोली में भाग लिया जा रहा है, अंकित करे।	कम्पनी/फर्म के [illegible] Annexure अनुसार स्वघोषणा [illegible]।
12.	बोलीदाता के पास स्वयं का अथवा फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक हैं।	पेनकार्ड की स्व–[illegible]

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

13.	बोलीदाता फर्म के किसी राजकीय संस्था/बोर्ड/कॉरपोरेशन से ब्लेक–लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता द्वारा इस सम्बन्ध में रूपये 100.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्पपर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना है।
14.	बोलीदाता Joint Ventures or Consortiums नही होने चाहिये।	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
15.	बोलीदाता का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
16.	मार्च, 2025 तक जी.एस.टी., ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की कोई बकाया नही है।	बोलीदाता को जी.एस.टी की कोई बकाया नहीं होने के साक्ष्य स्वरूप माह मार्च, 2025 की GST Return की स्वप्रमाणित प्रति एवं इस आशय का शपथ पत्र 100/– के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को जी.एस.टी., ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के पेटे संबंधित विभाग की प्रति कोई राशि बकाया नही होने संबंधी स्वप्रमाणित नियमानुसार रू. 100.00 के नॉन ज्यूडिशन स्टाम्प पर शपथ–पत्र अपेक्षित है।

नोटः– उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं में योग्य नही पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ नही खोली जावेगी।

मैं..पुत्र श्री..सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित/संलग्न विवरण सत्य हैं तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता....................................

...

दुरभाष एवं मो.नं...

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

अनुसंलग्न– द्वितीय

भाग–(ब) वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन सेवाओं की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुपरवाईजर (उच्च कुशल श्रमिक सेवा)	20	उच्च कुशल – रू. 10770/–		13	3.25		
2.	सिक्यूरिटी मैन (कुशल श्रमिक सेवा)	650	कुशल रू. 9270/–		13	3.25		
3.	सहायक कर्मचारी (अकुशल श्रमिक सेवा) उपलब्ध करवाने की सेवाएं	930	अकुशल – रू. 8550		13	3.25		

नोटः– 1. GST की राशि का भुगतान पृथक से देय होगा।
2. कॉलम सं. 5, 8 एवं 9 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जायेंगी।
3. EPF/ESI में नियोक्ता का अंशदान जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगा।
4. सेवा शुल्क की न्यूनतम दर 1.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत होगी, जिसका उल्लेख बोलीदाता द्वारा कॉलम संख्या–8 में आवश्यक रूप से करना होगा। सेवा शुल्क की दर अंको एवं शब्दों मे अंकित करनी होगी। अंको एवं शब्दों मे अन्तर, कॉट–छॉट या ओवर राईटिंग मान्य नही होगी।
5. जब भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के आदेश जारी किये जायेंगे। तदनुसार बढी हुई दरें स्वत; लागू मानी जावेगी।
6. कोई भी बोलीदाता किसी एक, दो अथवा तीनों सेवाओं के लिए भाग ले सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता.................................
....
दूरभाष एवं मो.नं.................................

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. -

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to :

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or service that subject of the bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

DC(Admin)
JDA, Jaipur

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Signature of Bidder

RajKaj Ref No.: 16509074

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to .... for procurement or .... in response to their Notice inviting Bids No................. dated........................ I/we .... hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer] not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of Bidder

Name :

Designation :

Address :

DC (Admin)
JDA,Jaipur

Note:- Annexure "B" is mandatory to be fulfilled & signed with seal by the bidder failing which the bid shall summarily by rejected without asking any clarification

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is..................................
The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal :-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases :-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions Limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals :-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 [illegible]1:28:31 IST
Reason: Approved

(6) Fee for filing Appeal :-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal :-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above shall also be placed on the state public procurement portal.

DC(Admin)
JDA, Jaipur

Signature of Bidder(in case of appeal)

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

Annexure D : Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

i. If there is a discrepancy between the unit price and thebe total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(1) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding document.

(2) In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

DC(Admin)
JDA, Jaipur

Signature of Bidder

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 [illegible]1:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

परिशिष्ट –E

जॉब चार्ट का संक्षिप्त विवरण

• सुरक्षाकर्मी सेवा (कुशल श्रमिक सेवा)

1. प्रवेश करने वाले वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से एवं निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग करवाना।
2. गेटों को निर्धारित समय पर खोलना एवं बंद करना।
3. असामाजिक तत्वों व भिखारियों को प्रवेश ना करने देना।
4. गेट के निकट ठेले, खोमचें, थडियां इत्यादि को नहीं लगने देना।
5. पार्क में पेड़–पौधो, फूल–पत्तियों को नही तोड़ने देना एवं लॉन को खराब नही करने देना।
6. पार्क में कचरा/गंदगी फैलाने वालों को रोकना एवं उन्हे कचरा पात्र के उपयोग हेतु निवेदन करना।
7. परिसर में स्थित राजकीय सम्पतियों को नुकसान पहुँचाने से मना करना व चोरी पर रोकथाम।
8. अपने कर्तव्य के दौरान नियमित रूप से गश्त करना एवं अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम करना।
9. सुरक्षाकर्मी सेवा को अपने कर्तव्य के दौरान वर्दी में रहना होगा एवं भ्रमणकर्ताओं के साथ वार्ता के दौरान मधुर व्यवहार रखेंगे।
10. सुरक्षाकर्मी सेवा का अपने कर्तव्य के दौरान मद्यपान/धुम्रपान/गुटका आदि पूर्णत वर्जित होगा।
11. सुरक्षाकर्मी सेवा को कर्तव्य स्थल के क्रम में ड्यूटी हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों की तत्काल पालना करना।

• सुपरवाइजर सेवा (उच्च कुशल श्रमिक सेवा)

1. उपरोक्तानुसार उच्च कुशल सेवा (सुपरवाइजर) के द्वारा सभी श्रमिक/सुरक्षाकर्मी सेवा के कार्यो की मोनिटरिंग का कार्य करना।
2. कर्तव्य के क्रम में उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करना/कराना।

• IV Calss/सहायक कर्मचारी सेवा (अकुशल श्रमिक सेवा)

1. कार्यालय में पत्रावलियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित करने एवं पत्रावलियों को एक शाखा से दूसरी शाखा में लेकर जाना/लाना।
2. कार्य स्थल पर टेबिल/कुर्सीयों को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ रखना।
3. कार्यस्थल में आगन्तुको को पानी/चाय पिलाने आदि कार्य।
4. कार्यालय के वो सभी सहायक कार्य जिनके कार्य में गति प्रदान हो सके सम्पादित करना।
5. कार्यस्थल पर कर्तव्य के दौरान वर्दी में रहना होगा।
6. कर्तव्य स्थल के क्रम में ड्यूटी हेतु अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों की [illegible] पालना करना।

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

उपायुक्त (प्रशासन)

जविप्रा,जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

बोलीदाताओं के लिये निर्देशः–

1. निविदादाता द्वारा निविदा, वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.inएवं www.jda.urban.rajasthan.gov.inसे डाउन लोड की जावेंगी।
2. ई–उपापन पद्धति से www.eproc.rajasthan.gov.inपर अपलोड की गई निविदा ही स्वीकार की जावेगी। निविदा को अपलोड करने से पूर्व निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रकिया शुल्क व बोली प्रतिभूति शुल्क ऑनलाईन निर्धारित प्रक्रियानुसार Transfer कर बिड प्रपत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
3. बोली आनलाईन ई–उपापन पद्धति के माध्यम से Two stage (द्वि–भाग) पद्धति **तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाए जाने वाले बोलिदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।**
4. तकनीकि निविदा प्रपत्र **(अनुसंलग्नक–प्रथम)** के क्र.सं.–1 से 16 तक उल्लेखित समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ अपलोड करनी होगी।
5. वित्तीय प्रस्ताव **अनुसंलग्नक द्वितीय** के अनुसार प्रस्तुत करने होगे।
6. अनुबन्धित अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा, निविदा संबंन्धित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही किया जा सकेगा।
7. सफल बोलीदाता को स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के नियमानुसार निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
8. बोलीदाता से बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure-A, B & D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न अपलोड करने होंगे।
9. सभी योग्य निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथी सूचित की जावेगी। वित्तीय निविदा सभी योग्य निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों, (जो उपस्थित रहना चाहते है) के समक्ष खोली जावेंगी।
10. निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों की सहमति स्वरूप निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करने चाहिये/समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना चाहिये।

हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ____________ of ____________________

Before the __________________________________ (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address:	
2. Name and address of the respondent(s): (i) (ii) (iii)	
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:	
4. If the Appellant proposes to be representedby a representative, the name and postal address of the representative:	
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
6. Grounds of appeal: ______________________________ ______________________________ ______________________________(Supported by an affidavit)	
7. Prayer: ______________________________ — ______________________________	
Place : __________ Date : __________ Appellant's Signature	

Signature valid

Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074

परिशिष्ट –F

उद्यान/पार्को में लगे सुरक्षाकर्मी सेवाओं का जॉब चार्ट का संक्षिप्त विवरण

1. पार्को में प्रवेश करने वाले वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से एवं निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्किंग करवाना।
2. पार्को के गेटों को निर्धारित समय पर खोलना एवं बंद करना।
3. पार्को में अवांछित वाहनों यथा बस, ट्रक, लोडिंग वाहनों को पार्किंग ना करने देना।
4. आवारा मवेशियों, कुत्तों इत्यादि को पार्क में प्रवेश करने से रोकना एवं यदि पार्क में कहीं पर भी आवारा मवेशियां आदि दिखाई देती है तो उन्हे तत्काल बाहर निकालना।
5. असामाजिक तत्वों व भिखारियों को पार्क में प्रवेश ना करने देना।
6. पार्क के गेट के निकट ठेले, खोमचें, थडियां इत्यादि को नहीं लगने देना।
7. पार्क में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित नहीं होने देना।
8. पार्क क्षेत्र में बड़े खेल यथा क्रिकेट, फुटबाल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि को भ्रमणकर्ताओं व बच्चों को नहीं खेलने देना।
9. पार्क में पेड़–पौधो, फूल–पत्तियों को नही तोड़ने देना एवं लॉन को खराब नही करने देना।
10. पार्क में कचरा/गंदगी फैलाने वालों को रोकना एवं उन्हे कचरा पात्र के उपयोग हेतु निवेदन करना।
11. पार्को में भ्रमणकर्ताओं द्वारा पक्षियों, जानवरों, चिटियों इत्यादि को खाद्य सामग्री डालने से रोकना एवं पक्षियों की खाद्य सामग्री को पेड़ो पर लटके पात्रों में यथा स्थान रखने हेतु निवेदन करना।
12. पार्क में लगी राजकीय सम्पत्तियों यथा पानी के हाईड्रेन्टस, विद्युत पैनल/लाईट्स/स्विच आदि को नुकसान पहुंचाने से मना करना व चोरी पर रोकथाम।
13. पार्क में अपने कर्तव्य के दौरान नियमित रूप से गश्त करना एवं अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम करना।
14. पार्क में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिवंध हेतु भ्रमणकर्ताओं को सूचित करना एवं प्लास्टिक सामग्री सहित प्रवेश नही करने हेतु निवेदन करना।
15. पार्क में लगे सुरक्षाकर्मी का एक हाजरी रजिस्टर संवेदक द्वारा संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
16. पार्क में लगे सुरक्षा सेवाओं को अपने कर्तव्य के दौरान वर्दी में रहना होगा एवं भ्रमणकर्ताओं के साथ वार्ता के दौरान मधुर व्यवहार रखेंगे।
17. पार्क में लगे सुरक्षा सेवाओं का अपने कर्तब्य के दौरान मद्यपान/धुम्रपान/गुटका आदि पूर्णत वर्जित होगा।
18. पार्क में एक शिकायत पंजिका संधारित करना एवं उक्त पंजिका का प्रति सप्ताह अधिकारियों को अवगत करवाकर हस्ताक्षर करवाना होगा।
19. उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों की तत्काल पालना करना।
20. पार्क में पार्किंग क्षेत्र में आवागमन करने वालों का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड संधारण करना।
21. पार्क में लगे टिकिट विंडो पर भी आवश्यकतानुसर सेवाऐं देनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

स्वघोषणा

उपायुक्त (प्रशासन), जयपुर विकास प्राधिकरण की जारी निविदा सूचना संख्या............................... दिनांक .... में फर्म/एजेंसी .... निविदा मे वर्णित अकुशल श्रमिक/कुशल श्रमिक/उच्च कुशल श्रमिक सेवाओं में से .... श्रमिक सेवा आपूर्ति करने हेतु बोली में भाग ले रही है।

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

नामः–
पदनामः–
पताः–

उपायुक्त (प्रशासन)

नोटः– उक्त परिशिष्ट 'G' को संवेदक को अपने लैटर हैड पर पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा।
कोई भी बोलीदाता किसी एक, दो अथवा तीनों सेवाओं के लिए भाग ले सकता है।

Signature valid
Digitally signed by Satyam Khandelwal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.08 11:23:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16509074